**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2042**

**उत्तर देने की तारीख : 09.12.2021**

**एमएसएमई क्षेत्र पर लॉकडाउन/कोविड का प्रभाव**

**2042. श्री चंद्र शेखर साहू:**
**श्री राहुल रमेश शेवाले:**
**डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**
**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-19 महामारी से एमएसएमई क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के दायरे और उसके घटकों को बढ़ाने के लिए खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्तावित सहायता एमएसएमई को कुछ सबसे प्रचलित बाधाओं को दूर करने में कहां तक सक्षम बनाएगी?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**
**(श्री नारायण राणे)**

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र विगत पांच दशकों में एक अत्यधिक जीवंत और गत्यात्मक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को बढ़ावा देकर तथा बड़े स्तर पर रोजगार संबंधी अवसर सृजित करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक मात्र क्षेत्र है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्ववर्ती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए मौजूदा मूल्य (2011-12) पर अखिल भारत जीडीपी में एमएसएमई के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) की हिस्सेदारी क्रमश: 29.7%, 30.5% तथा 30.0% है।

(ख) : कोविड-19 महामारी ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन संबंधी कड़े उपायों के कारण आर्थिक गतिविधि में कमी आयी थी। इस कमी का एमएसएमई क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्थापित इकाइयों सहित एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा अध्ययन कराए गए हैं।

क. प्रचालनात्मक क्षमताओं तथा कोविड-19 महामारी के दौरान एनएसआईसी स्कीमों के लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को समझने के लिए एनएसआईसी द्वारा कराए गए ऑनलाइन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

i. 91% एमएसएमई कार्यशील पाए गए थे।

ii. एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही पांच सबसे बड़ी समस्याओं में, तरलता (55% इकाइयां), नए ऑर्डर्स (17% इकाइयां), श्रम (9% इकाइयां), लॉजिस्टिक्स (12% इकाइयां) तथा कच्चे माल की उपलब्धता (8% इकाइयां) के रूप में पहचान की गई थी।

ख. केवीआईसी द्वारा कराए गए अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

i. पीएमईजीपी स्कीम के 88% लाभार्थियों ने यह सूचना दी थी कि वे कोविड-19 के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे जबकि शेष 12% ने यह उल्लेख किया था कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान लाभान्वित हुए थे।

ii. प्रभावित हुए 88% में से 57% ने यह उल्लेख किया था कि इस अवधि के दौरान उनकी इकाइयां कुछ समय के लिए बंद की गई थीं जबकि 30% ने उत्पादन और राजस्व में कमी रहने की सूचना दी थी।

iii. लाभान्वित हुए 12% में से 65% ने यह उल्लेख किया था कि उनके व्यवसाय में बढ़ोत्तरी हुई थी क्योंकि उनकी इकाइयां खुदरा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी थीं तथा लगभग 25% ने यह उल्लेख किया था कि उनकी इकाइयां इसलिए लाभान्वित हुई थीं क्योंकि वे अनिवार्य वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ी थीं।

iv. कर्मचारियों को वेतन के नियमित भुगतान के प्रश्न पर लगभग 46.60% उत्तरदाताओं ने यह उल्लेख किया था कि उन्हें पूरा वेतन दिया गया था, 42.54% ने यह सूचना दी थी कि उन्हें आंशिक भुगतान किया गया था तथा 10.86% ने यह सूचना दी थी कि उन्हें इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

v. अधिकांश लाभार्थियों ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता, ब्याज में छूट संबंधी शिथिलता तथा उनके उत्पादों के लिए विपणन सहायता की आवश्यकता के लिए उल्लेख किया था।

(ग) और (घ) : जी, हां। सरकार ने दिनांक 02.07.2021 को खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल किया है तथा उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे और अधिक एमएसएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

*****